

भारत सरकार  
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2960  
10.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

ई-बस सेवा

2960. श्री आशीष दुबे:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम ई-बस सेवा मॉडल किस प्रकार द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में शहरी गतिशीलता को सुदृढ़ करता है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक कितनी निधि स्वीकृत और व्यय की गई है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत ई-बसों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक चल रही ई-बसों की संख्या कितनी है;

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत रोजगार के कितने अवसर सृजित होने की संभावना है; और

(च) उक्त योजना के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक जबलपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु कितनी निधि स्वीकृत और उपयोग की गई, कुल कितनी ई-बसों को स्वीकृत किया गया और कितनी ई-बसों का परिचालन शुरू किया गया है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री  
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएम-ई-बस सेवा स्कीम का उद्देश्य 3-40 लाख की आबादी वाले शहरों में 10,000 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती करके शहरी परिवहन प्रणाली को मजबूत करना है, जिसमें छोटे समीपवर्ती वैध कस्बों, राज्यों की राजधानियों और 3 लाख से कम आबादी वाले पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों के राजधानियों के समूह शामिल हैं।

यह स्कीम लगभग 30% भाग लेने वाले शहरों को संगठित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली तैनात करने और लगभग 80% भाग लेने वाले शहरों को पहली बार ई-मोबिलिटी की ओर परिवर्तन करने में सक्षम बनाती है। इस स्कीम को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है क्योंकि संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन भी प्रदान किया गया है, जिसमें स्कीम के तहत ई-बसों की तैनाती के लिए बिहाइंड-द-मीटर (बीटीएम) बिजली बुनियादी ढांचे के लिए 100% वित्तीय सहायता भी शामिल है। 10,000 ई-बसों की मांग के साथ 200 से ज़्यादा अवसंरचना प्रस्ताव (सिविल डिपो और पावर अवसंरचना दोनों) मंज़ूर किए गए हैं। अब तक, इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के लिए 300 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर 500 से ज़्यादा सर्किट किलोमीटर हाई टेंशन (एचटी) लाइन अवसंरचना और डिपो बनाने को मंजूरी दी गई है।

**(ख):** स्कीम के तहत दिसंबर, 2025 तक अवसंरचना प्रस्ताव (बिहाइंड-द-मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर) के लिए मंज़ूर और व्यय की गई कुल राशि क्रमशः 1254.38 करोड़ रुपए और 483.70 करोड़ रुपए है। राज्य-वार मंज़ूर और व्यय की गई राशि की सूचना अनुलग्नक-I में दी गई है।

**(ग):** स्कीम के तहत 20 राज्यों और 6 संघ राज्यक्षेत्रों के 116 शहरों में 10,000 बसें मंज़ूर की गई हैं। राज्य-वार मंज़ूर बसों की जानकारी अनुलग्नक-II में दी गई है।

**(घ):** दिसंबर, 2025 तक स्कीम के तहत कोई बस नहीं चलाई गई। हालाँकि, अब तक चार शहरों, गुवाहाटी (100), नागपुर (50), भावनगर (50), और चंडीगढ़ (25) ने 225 बसें चलानी शुरू कर दी हैं।

**(ङ):** आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की डेटा प्रबंधन प्रणाली बसों के चलने और डिपो बनाने की परियोजना से सृजित हुई नौकरियों संबंधी आँकड़े नहीं रखता है, ये कार्य संबंधित शहरों द्वारा लागू किए जा रहे हैं। हालाँकि, स्कीम के समय के दौरान 45,000 से 55,000 प्रत्यक्ष नौकरियाँ सृजित होने का अनुमान है।

**(च):** बिहाइंड-द-मीटर (बीटीएम) पावर और सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों के लिए कुल 10.48 करोड़ रुपए मंज़ूर किए गए हैं। इसमें से 8.40 करोड़ रुपए की पहली मंजूरी जारी की गई थी। जबलपुर शहर के लिए कुल 200 ई-बसें मंज़ूर की गई हैं और 12.02.2026 को रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अभी तक कोई बस नहीं चलाई गई है। मंज़ूर और जारी की गई निधि की जानकारी अनुलग्नक-III में दी गई है।

\*\*\*\*\*

पीएम-ई-बस सेवा के तहत मंजूर और व्यय की गई कुल राशि का ब्यौरा

#	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)			व्यय राशि (करोड़ रुपए में)		
		बीटीएम	सिविल	कुल	बीटीएम	सिविल	कुल
1	आंध्र प्रदेश	30.18	65.41	95.59	0	0	0
2	असम	3.84	12.81	16.65	3.33	7.52	10.85
3	बिहार	79.25	33.21	112.46	79.25	8.3	87.55
4	चंडीगढ़	11.87	0.00	11.87	11.87	0	11.87
5	छत्तीसगढ़	30.36	20.19	50.55	25.09	6.07	31.16
6	गुजरात	35.69	40.61	76.30	19.88	9.06	28.94
7	हरियाणा	13.44	8.69	22.13	0	0	0
8	जम्मू और कश्मीर	14.28	28.09	42.37	0	0	0
9	मध्य प्रदेश	55.01	36.39	91.40	1.32	0	1.32
10	महाराष्ट्र	228.21	142.28	370.49	167.65	32.53	200.18
11	मेघालय	8.95	9.00	17.95	0	0	0
12	ओडिशा	54.11	34.05	88.16	39.91	7.96	47.87
13	पुडुचेरी	8.15	0.00	8.15	0	0	0
14	पंजाब	22.90	20.87	43.77	14.27	5.23	19.5
15	राजस्थान	60.08	42.03	102.11	35.84	8.62	44.46
16	उत्तराखंड	12.02	15.36	27.38	0	0	0
17	कर्णाटक	37.82	39.23	77.05	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>706.16</b>	<b>548.22</b>	<b>1254.38</b>	<b>398.4</b>	<b>85.29</b>	<b>483.7</b>

अनुलग्नक-II

पीएम ई-बस सेवा स्कीम के तहत मंजूर की गई ई-बसों की संख्या की जानकारी

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	शहर	बसें
असम	1	100
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्यक्षेत्र)	1	45
आंध्र प्रदेश	11	1050
अरुणाचल प्रदेश	1	50
बिहार	6	400
छत्तीसगढ़	4	240
गुजरात	8	750
गोवा	1	50
हरियाणा	7	450
हिमाचल प्रदेश	2	50
कर्णाटक	10	750
केरल	3	293
मध्य प्रदेश	8	972
महाराष्ट्र	22	1609
मणिपुर	1	50
मेघालय	1	55
ओडिशा	5	400
पंजाब	5	447

राजस्थान	9	1150
उत्तराखंड	2	137
तेलंगाना	2	151
चंडीगढ़ (संघ राज्यक्षेत्र)	1	428
जम्मू और कश्मीर (संघ राज्यक्षेत्र)	2	200
लद्दाख (संघ राज्यक्षेत्र)	1	48
पुडुचेरी (संघ राज्यक्षेत्र)	1	75
दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्र)	1	50
<b>20 राज्य और 6 संघ राज्यक्षेत्र</b>	<b>116</b>	<b>10,000</b>

अनुलग्नक-III

करोड़ रुपए में

शहर	स्वीकृत राशि			मूल स्वीकृति जारी		
	बीटीएम	सिविल	कुल	बीटीएम	सिविल	कुल
जबलपुर	6.3	4.18	10.48	6.3	2.1	8.4